(c) To mitigate the effects of drought, three core sectors, namely Land Resources Development, Water Resources Development and Afforestation and Pasture Development have been identified as the thrust areas for development of DPAP blocks on watershed basis. To speed up the implementation of drought mitigating works, the DPAP allocation to Andhra Pradesh for 1993-94 is being enhanced by about 50% of the existing allocation of Rs. 1203 lakhs.

ग्रामीण विकास के अंतर्गत गुजरात में वित्तीय सहायता दिया जाना

1325. **श्री गोपालसिंह जी. सोलंकी** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक गुजरात सरकार को ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिलावार, योजनावार तथा वर्ष-वार कितनी-कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने योजना का मूल्यांकन करने तथा भूलभूत सुविधाओं का पता लगाने के लिए कोई निगरानी अभिकरण स्थापित किया है ताकि राज्यों द्वारा धन का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन किस प्रकार किया जा रहा है और इसका समुचित क्रियान्वयन सुनिश्चित किए बिना इसे जारी रखने का औचित्य क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना जैसे मुख्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत जिलावार, कार्यक्रम-वार तथा वर्ष-वार उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण-1 में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)** । त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के संबंध में मिनी मिशन से संबंधित सूचना जिलावार दी गई है जबकि राज्य हेतु वर्ष 1989-90 से लेकर 1992-93 के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के बारे में सूचना विवरण-2 में दी गई है **(नीचे देखिए)** ।

(ख) और (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजना जैसे गरीबी निवारण कार्यक्रमों के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की निगरानी विभिन्न स्तरों पर की जाती है । बुनियादी स्तर पर, खण्ड स्तर के कर्मचारियों को कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी के कार्य में शामिल किया जाता है । जिला स्तर पर, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषदें आवधिक रिपोर्टों की मार्फत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करती हैं और जिला अधिकारियों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार फील्ड के दौरे किए जाते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की शासी निकाय में अन्य लोगों के अलावा, स्थानीय विधायकों और संसद सदस्यों को भी शामिल किया जाता है । कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए शासी निकाय की सामान्यतः तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं ।

राज्य स्तर पर कार्यक्रमों की निगरानी करने के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है । राज्य स्तर पर मुख्यालय में कार्यक्रम को प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए परियोजना निर्धारण एवं निगरानी सैल का भी गठन किया गया है । केन्द्र स्तर पर मंत्रालय द्वारा आवधिक प्रगति रिपोर्टों, कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों और उसके अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों की मार्फत कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा करने के लिए एक सतत प्रणाली तैयार की गई है ।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के निष्पादन का मूल्यांकन करने और उनमें सुधार लाने हेतु उपाय करने के लिए कई ख्यातिप्राप्त अनुसंधान संगठनों को शामिल करके मंत्रालय द्वारा कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन भी किया जाता है । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के तीन दौर पूरे हो गए हैं

और चौथे दौर का फील्ड कार्य प्रगति पर है। जवाहर रोजगार योजना के पहले समवर्ती मूल्यांकन का फील्ड कार्य हाल ही में पूरा हुआ है और रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

इसी प्रकार, आवधिक रिपोर्टों, फील्ड दौरों और समीक्षा बैठकों की मार्फत विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण विकास के अंतर्गत अन्य योजनाओं की भी निगरानी की जाती है ।

विवरण–I

I. 1989–90, 1990–91, 1991–92 और 1992–93 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत जिलावार और वर्षवार सहायता

(लाख रुपये में)

जिले का नाम	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई सहायता			
	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93
जामनगर	20.64	25.44	28.30	12.71
राजकोट	16.29	33.09	33.12	30.36
सुरेन्द्रनगर	23.19	25.61	22.65	21.12
भावनगर	28.408	30.81	35.38	26.74
अमरेली	11.82	23.19	31.66	24.16
जूनागढ़	42.34	45.28	41.97	40.60
कच्छ	28.69	30.56	26.50	24.89
बनासकांठा	62.20	65.72	62.75	55.01
सबरकांठा	72.27	56.98	76.02	50.44
मेहसाना	64.92	70.29	76.74	62.15
गांधी नगर	5.83	4.48	10.05	3.44
अहमदाबाद	37.31	38.36	40.65	33.85
खेड़ा	80.25	77.83	85.16	67.22
पंचमहल	141.12	133.25	154.50	112.29
बडोदरा	99.74	105.37	110.23	91.67
भडौच	75.62	74.77	86.31	62.70
सूरत	109.46	122.23	122.03	109.55
बलसाड़	138.22	127.95	151.63	109.71
डांग	13.08	12.74	15.58	7.50
योग	1071.40	1103.93	1211.23	946.10

11. 1989-90, 1990-91, 1991-92 और 1999-93 के दौरान रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला-वार और वर्ष-वार सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

जिले का नाम	जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत दी गई सहायता			
	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93
जामनगर	102.07	84.94	103.28	101.44
राजकोट	145.57	118.65	136.95	115.99
सुरेन्द्र नगर	133.58	107.58	132.75	133.87
भावनगर	141.22	108.47	129.15	124.57
अमरेली	110.54	91.02	107.28	96.33
जूनागढ़	181.82	179.63	190.82	208.04
कच्छ	464.19	391.92	411.03	423.38
बनासकांठा	922.19	691.32	732.12	831.57
सबरकांठा	295.32	235.35	353.55	261.11
मेहसाना	251.96	187.98	214.50	199.93
गांधी नगर	27.14	26.55	24.08	21.55
अहमदाबाद	191.72	172.63	196.94	193.80
खेड़ा	259.37	186.23	226.01	233.07
पंच महल	843.00	1033.96	1013.60	1289.13
बडोदरा	533.57	476.32	559.98	461.04
भड़ौच	453.06	371.92	440.36	410.94
सूरत	656.69	553.09	640.42	606.31
बलसाड़	588.27	620.45	717.13	755.22
डांग	62.55	74.04	78.82	351.85
योग	6363.83	5712.05	6408.76	6819.13

विवरण–2

1989-90, 1990-91, 1991-91 तथा 1992-93 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत दी गई सहायता दर्शाने वाला विवरण ।

(लाख रुपये में)

	1989–90	1990–91	1991–92	1992–93
1. त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	1201.40	1826.93	1633.00	1598.00
2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	—	—	300.00	—
3. मिनी मिशन				
(क) डांग	32.00	126.00	50.00	50.00
(ख) बलसाड	—	50.00	50.00	50.00
(ग) जामनगर	35.00	187.07	—	—
(घ) कच्छ	—	27.86	—	—

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासीय एकक की निर्माण लागत

1326. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवासीय एकक के निर्माण की लागत कितनी है;

(ख) क्या सरकार प्रति मकान की लागत दस हजार रुपए करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रत्येक आवासीय एकक के निर्माण की लागत निम्न प्रकार है :—

1. मकान का निर्माण	8,000,00 रुपये
2. स्वच्छ शौचालय और धुंआ रहित चूल्हे का निर्माण	1,400,00 रुपये
3. आधारभूत ढांचे और सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था	3,300,00 रुपये
कुल:	12,700,00

पर्वतीय क्षेत्रों, प्रतिकूल मृदा परिस्थितियों अथवा दूर-दराज के क्षेत्रों सहित कठिन भू-क्षेत्रों में मकानों के निर्माण की लागत 8,000.00 रुपए की बजाय 9,800 रुपए तक हो सकती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।